

न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

मु.न.	दायर दिनांक	अ. धा.	निर्णय दिनांक
30/2017	29.08.2017	91 एल.आर.एक्ट	14.09.2017

सरकार बनाम बोदूराम पुत्र सुरजाराम जाति गुर्जर निवासी मण्डावरा

14.09.2017 पत्रावली आज पेश हुई। अतिकमी अनुपस्थित । पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का मण्डावरा नें सम्वत 2074 में इस आश्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मोजा ग्राम मण्डावरा की भूमि ख0न0 1839/174 रकबा 1.20 है0 किस्म गै0मु0 पहाड़ में से रकबा 1 है0 पर बोदूराम पुत्र सुरजाराम जाति गुर्जर निवासी मण्डावरा नें अवैध अतिकमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का मण्डावरा के आधार पर प्रकरण रा0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया अतिकमीगण को जरिये सम्मन नोटिस अ0 धा0 91 एल.आर.एक्ट के तहत तलबी सम्मन नोटिस जारी की गये ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का मण्डावरा एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड सबुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अतिकमीगण द्वारा किया गया अतिकमण अवैध हैचूकी भूमि किस्म गै0मु0 पहाड़ हैं, अवैध एवं नियमों के अनुसार नहीं होने के कारण अतिकमीगण द्वारा किया गया अतिकमण प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार लगातार कब्जा साबित नहीं होने के कारण नियमन की तारीफ में नहीं आता है। अतः अतिकमीगण को रा0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा जेर बहस रिपोर्ट पटवारी हल्का /भू0अ0निरीक्षक को अतिकमी को मौके से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा पटवारी हल्का/भू0अ0नि0 को लिखा जावे की अतिकमीगण को अतिकमण शुदा रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें। आदेश बेदखली पारीत होने पर पृथक से इजराई रजिस्टर में पत्रावली दर्ज की जाकर भौतिक बेदखली रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त कर दर्ज करें ।

अतिकमीगण द्वारा गै0मु0 पहाड़ भूमि पर अवैध रूप से अतिकमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 0.93 रू का 50 गुणा तावान की कुल राशि 47/- अक्षरे सैतालिस रूपये मात्र बतौर शास्ती पैलन्टी जुर्माना आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को जमा कायमी वसुली तथा बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे पत्रावली दर्ज फैसल होकर नम्बर शुमार से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता कार्यवाही संग्रह भण्डार हो। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 14.09.2017 को खुले न्यायालय मे पढ़कर सुनाया गया।

रजिस्टर व वसुली 2017-18

रूपये 47

की कायमी की

राजस्व लेखाकार

तहसीलदार
उदयपुरवाटी